

कोरोनावायरस (COVID-19) अंतिम संस्कार सहायता

COVID-19 के महासंकट ने बहुत से परिवारों के सम्मुख इस अपरिहार्य पीड़ा और दुख को ला खड़ा किया है। FEMA में, हमारा उद्देश्य लोगों को आपदाओं से पहले, आपदाओं के दौरान और आपदाओं के बाद के लिए सहायता प्रदान करना है। हम इस वायरस के कारण होने वाले कुछ वित्तीय तनाव और बोझ को कम करने में सहायता करने के लिए समर्पित हैं।

FEMA 20 जनवरी, 2020 के बाद किए गये COVID-19 संबंधी अंतिम संस्कार के खर्चों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।



अंतिम संस्कार सहायता प्राप्त करने के योग्य होने के लिए, आपको इन शर्तों को पूरा करना ज़रूरी है:

- अमेरिकी क्षेत्रों और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलम्बिया सहित, मौत संयुक्त राज्य अमेरिका में होना ज़रूरी है।
- मौत के प्रमाणपत्र पर यह लिखा होना ज़रूरी है कि COVID-19 को मौत का ज़िम्मेदार ठहराया गया था या मौत COVID-19 के कारण हुई है।
- आवेदक का संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक, गैर-नागरिक राष्ट्रीय, या योग्य विदेशी होना ज़रूरी है, जिसने 20 जनवरी 2020 के बाद अंतिम संस्कार संबंधी खर्चों का वहन किया है।
- जिस व्यक्ति की मौत हुई है, उसका संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक, गैर-नागरिक राष्ट्रीय, या योग्य विदेशी होने संबंधी कोई आवश्यकता नहीं है।

कौन से खर्चें प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के योग्य होंगे?

अंतिम संस्कार सेवाओं और हस्तक्षेप या दाह संस्कार के लिए योग्य खर्च के उदाहरणों में मृत व्यक्ति की पहचान करने वाले दो लोगों तक के लिए परिवहन, अवशेष, एक ताबूत या कलश, एक दफन करने के स्थान या दाह संस्कार के लिए आला, एक मार्कर या हेडस्टोन, पादरी या अधिकारिक सेवाएं, एक अंतिम संस्कार समारोह की व्यवस्था, अंतिम संस्कार घरेलू उपकरणों या कर्मचारियों का उपयोग, दाह संस्कार या हस्तक्षेप लागतें और मृत्यु प्रमाण पत्र की कई कॉपियां प्राप्त करने से जुड़ी लागतें शामिल हो सकती हैं।

मुझे FEMA को कौन सी जानकारी प्रदान करने की ज़रूरत है?

सहायता के लिए आवेदन करने के लिए, आपको निम्नलिखित जानकारी की ज़रूरत होगी:

- आपका नाम, सामाजिक सुरक्षा नंबर, जन्म तिथि, डाक पता और सम्पर्क करने के लिए फोन नंबर।
- प्रत्येक मृतक व्यक्ति का नाम, सामाजिक सुरक्षा नंबर, और जन्म तिथि।
- वह स्थान या पता जहाँ उस व्यक्ति की मौत हुई थी।
- अन्य स्रोतों से प्राप्त किसी भी सहायता के दस्तावेज़ और रसीदें, जिनमें दफनाने या अंतिम संस्कार बीमा, दान, स्वैच्छिक एजेंसियां, अन्य सरकारी कार्यक्रम या गैर-लाभकारी संगठन शामिल हैं।
- यदि आप और किसी अन्य व्यक्ति दोनों एक ही मृत व्यक्ति(यों) के लिए अंतिम संस्कार के खर्च उठाते हैं, तो आप उस व्यक्ति को सह-आवेदक के रूप में भी सूचीबद्ध कर सकते हैं - आवेदन पर उनके नाम, सामाजिक सुरक्षा नंबर और जन्म तिथि शामिल करें।

मैं इस सहायता के लिए कैसे आवेदन करूँ?

FEMA की COVID-19 अंतिम संस्कार सहायता हेल्पलाइन को आवेदन प्रक्रिया शुरू करने के लिए

1-844-684-6333

(TTY: 800-462-7585)

को सोमवार – शुक्रवार, सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक फ़ोन करें।

अपना आवेदन देने के बाद, आप ऑनलाइन

[Disasterassistance.gov](https://www.disasterassistance.gov) पर जाकर,

या फ़ैक्स द्वारा 855-261-3452

पर अपने दस्तावेज़ भेज सकते हैं। दस्तावेज़ डाक द्वारा यहां भी भेजे जा सकते हैं:

COVID-19 अंतिम संस्कार सहायता

P.O. Box 10001

Hyattsville, MD 20782

आप हमें ऑनलाइन विज़िट भी कर सकते हैं:

[FEMA.gov/disasters/coronavirus/economic/funeral-](https://www.fema.gov/disasters/coronavirus/economic/funeral-assistance)

[assistance.](https://www.fema.gov/disasters/coronavirus/economic/funeral-assistance) फ़ोन द्वारा एवं

वेबसाइट दोनों पर जानकारी कई भाषाओं में प्रदान की जाती है।



FEMA